c.c. issued
circular No 94/31.7.12.

मो० जलील व अन्य
बनाम
भूमि विवाद वाद सं० 10/12-13 शेख मोहम्मद व अन्य

आदेश

31.7.12 यह वाद मो० जलील पिता स्व० शेख रफीक साकिन पिरहौली डाक० अलीनगर थाना बखड़ा 2 वर्गीकृत द्वारा शेख मोहम्मद पे० शेख कमरुली एवं शेख यतीम पे० शेख इस्लाम के विरुद्ध बि० भू० वि० नि० अधि० 2009 के तहत विहित प्रक्रियानुकूल दाखिल वादपत्र के आलोक में प्रारंभ की गई।

वादी द्वारा वादपत्र में उल्लेखित है कि मौजा पिरहौली का खाता नं० 199 (क्या) पुराना 91, नया खेसरा 547 पुराना 551 रकबा 15 डी० यह वाद की तनाजाई भूमि है। तनाजाई भूखंड RSP 547 पुराना खेसरा 551 से बना है। यह भी उल्लेखित है कि पुराना खाता नं० 91 में नाम रैयत शेख रमजू वो शेख नमू वो शेख मन्नू साकिन देह जरीदगी अगवद दर्ज है। शेख मुसाफ़िर अपने पीछे तीन लड़के यथा शेख रमजू, शेख नमू वो शेख मन्नू को छोड़कर मरे। शेख नमू अपने पीछे एक पुत्र कमरुली को छोड़कर मरे तथा शेख कमरुली अपने पीछे दो लड़के शेख मोहम्मद वो शेख यतीम को छोड़कर मरे जो इस मुकदमा के OP1 एवं OP2 हैं। यह भी उल्लेखित है कि शेख मगलू अपने पीछे एक पुत्र शेख सौकत अली को छोड़कर मरे वो शेख सौकत अली को दो लड़का एक रफीक उर्फ शेख डोमा एवं शेख रफीक उर्फ शेख वहीद को छोड़कर मरे। शेख आबिद जिन्दा है जो OP-4 है और शेख जड्डन OP-5 है। यह भी उल्लेखित है कि शेख डोमा अपने चार पुत्र मो० जमील, मो० जलील, मो० कलीम, मो० नवीद को छोड़कर मरे जो Petitioner है। शेख जमील अब इस दुनिया में नहीं हैं ... बीमाकार स्पष्ट होता है कि वादीगण विवादित भूखंड में हिस्सा के हिस्सेदार हैं। उल्लेखित है कि ग्राम स्तर के अधिकारीगण ने

[stamp]

हाल खाता न० 192 में विवादित खसरा मा० औले यतीम 28 अंश की मोमिना
बतूलन पति असरफी 4 अंश गलती से दर्ज कर दिया। जबकि हकीकत है
कि औले मोहम्मद, औले यतीम व मोमिना बतूलन सभी मिलाकर 16 अंश
के हकदार है जो शेष आधा 16 अंश वादीगणों का है। हाल खाता 193
हाल खसरा 547 पुराना खसरा न० 551 से बना है और पुराना खतियान
इंद्राज के अनुसार अन्दर एराजी खास मोतनाजा आधा के हकदार है
जिसके बावजूद भी हाल सर्वे पदाधिकारी गण ने गलती से RS खाता 193
सिर्फ औले मोहम्मद वो औले यतीम के नाम से दर्ज कर दिया। यह
भी उल्लेखित है कि हाल खसरा 547 भी पुराना खसरा 551 से बना है।
हाल खाता न० 193 हाल खसरा न० 547 में भी फिदवियान मुद्दईयान
आधा के हकदार है। इसी तरह हाल खाता सं० 192 हाल खसरा
नं० 551 रकबा 2 डी० वो भी हाल खाता नं० 193 हाल खसरा नं० 547
कुल रकबा 5 डी० में फिदवियान मुद्दईयान आधा के हकदार है। जबकि
हाल सर्वे पदाधिकारीगण ने न तो हाल खाता 192 हाल खसरा 551
और नही हाल खाता 193 हाल खसरा न० 547 में फिदवियान
मुद्दईयान की चर्चा तक नहीं की। उक्त सभी तथ्यों के मद्देनजर वादी
गणों ने RS खाता 192 व 193 में निम्नांकित रूप से सुधार करने
का आदेश देने का अनुरोध किया है।

" अन्दर खाता 192 औले मोहम्मद वो औले यतीम पिता अफजली 16 अंश
वो वादीगण 1 से 5 16 अंश समान वो खसरा न० 551 संयुक्त कब्जा
फिदवियान मुद्दईयान वो मुदालहुम मोकदमा आधा आधा "

" अन्दर खाता 193 RSP 547 - औले मोहम्मद वो औले यतीम पिता
मो० अफजली 16 अंश समान एवं फिदवियान मुद्दईयान 1 से 5
16 अंश समान

वाद के विचारण हेतु नियत सूचना की तामिला के
बावजूद प्रतिवादी स्वयं या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से
उपस्थित नहीं हुए जिसके कारण उक्त वाद की एकपक्षीय
सुनवाई की गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इनके वादपत्र का अभिवचन द्वारा समर्थन
किया तथा उल्लेखित G.T के समर्थन में मोहम्मद सिद्दिकी पि० शेर
अब्दुल साo पिरहौली उम्र 78 वर्ष का लिखित व शपथ द्वारा दाखिल
बयान प्रस्तुत किया। मोहम्मद सिद्दीकी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर
वादपत्र व शपथपत्र में शेर मुहम्मद के वंशजों के कुर्सीनामा का समर्थन
किया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता का एकपक्षीय अभिवचन सुना तथा
list of documents द्वारा दाखिल दस्तावेजों ताइद CS खतियान
खाता सं० 91 CSP 551 CSP 552 में नाम शेख के रूप में उल्लेखित
शेर रमजू वो शेर नन्हू वो शेर कल्लू पेशावन शेर मुहम्मद का
अवलोकन किया। मौजा पिरहौली थाना नं० 243 RS खाता 192 एवं
RS खाता 193 की छाया प्रति का भी अवलोकन किया जिनके संशोधित
संशोधन का अनुरोध की गई वादी द्वारा की गई है। RS खाता
192 में RSP 551, 1051, 1073, 1648, 1700, 1830 सम्मिलित है जो
शेख शेर मोहम्मद वो शेर करीम पिता केकाली बस्तान शेख इकान,
वो मो० बतुलन पति केकाली भाग केअ भाति शेर नियम ग्राम के नाम
से कायम है। वादी द्वारा तकराड़ी मूल्यवान RSP 547 किन्तु सातवाँ
खेसरा से बना है इस संबंध में कोई साक्ष्य वाद के विचारण
के दौरान प्रस्तुत नहीं कर सके। RS खाता 193 में RSP
547 तकराड़ी मूल्यवान शेर मोहम्मद वो शेर यतीम पिता शेर इब्राहिम
के नाम सकरन दर्ज है जिनके संशोधन हेतु यह वाद दाखिल है।
वादी का तकराड़ी RSP 547 का किन्तु सातवाँ खेसरा के किसी
भी से संबंधित कोई ताइद नहीं प्रस्तुत करने के कारण
वादी का दावा पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं होता है। अतः
वादी को अपना दावा सदैव रहेगा रूप से प्रमाणित करने
हेतु दस्तावेजी एवं विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करने की

सही/ अधिकारी है।

अतः स्वयं निम्नांकित वादी द्वारा किये वाद के संबंध में कोई एवं स्वीकृत से भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण वाद खारिज किया जाता है।

घोषित व हस्ताक्षरित

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता

3/7/12

भूमि सुधार उप. समाहर्ता

बेतिया

3/7/12

भूमि सुधार उप. समाहर्ता

बेतिया